



मुख्यालय  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
46बी, आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून  
web : [www.ueppcb.uk.gov.in](http://www.ueppcb.uk.gov.in)

## पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

M/s Jai Ambika Mines द्वारा Village-Jalthakot, Distt-Bageshwar, Uttarakhand, में Soap Stone Mining (Area-4.150Ha. में 20000 टन प्रति वर्ष) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:-

1. जिलाधिकारी, जनपद, बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
  2. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।
- परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय-देहरादून मुख्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी; कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर; कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर; जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर एवं कार्यालय नगर पालिका, बागेश्वर में उपलब्ध है जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति [www.ueppcb.uk.gov.in](http://www.ueppcb.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

M/s Jai Ambika Mines द्वारा Village-Jalthakot, Distt-Bageshwar, Uttarakhand में Soap Stone Mining (Area-4.150 Ha. में 20000 टन प्रति वर्ष) की स्थापना हेतु प्रस्तावित लोक सुनवाई दिनांक 10.10.2019 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल पर निर्धारित की गयी है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्र से सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, यू.ई.पी.पी.सी.बी., हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव  
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Hindulak